



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 2
PART I—Section 2

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

से. 1] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 9, 1996/पौष 19, 1917
No. 1] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 9, 1996/PAUSA 19, 1917

जल-मूलत परिवहन विभाग

इपत्तन पक्ष

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 1996

फ. सं. ए-12022/5/94-पी-ई-1.—केन्द्र सरकार महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 § 1963 का 38§ की धारा 3 की उप-धारा § 1§ के लंड § 1§ द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री ए. के. निगम, मा. प्र. से. § गुजरात : 83§ को पक्का प्रहण करने की तारीख से 4 वर्षों की सामान्य अवधि के लिए उप-सचिव, भारत सरकार, के वेतनमान में कंडला पत्तन न्यास का उपाध्यक्ष नियुक्त करती है ।

सी. एस. खेरवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th January, 1996

F. No. A-12022/5/94-PE-I.—In exercise of the powers conferred on them by clause (b) of Sub-section (1) of Section 3 of the Major Port

Trust Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government appoints Shri A. K. Nigam, IAS (GUJ : 83) as Deputy Chairman, Kandla Port Trust, in the scale of pay of a Deputy Secretary to the Government of India for a normal tenure of four years from the date of assumption of charge of the post.

C. S. KHAIRWAL, Jt. Secy.